B- 3 & 4
L- 28
I. Polity

संसदीय समितियों की उपयोगिता :-

- संसदीय शासन का मूल आधार कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व है लेकिन संसद के पास समय का अभाव होता है और विशेषज्ञता की कमी होती है इसलिए वह कार्यपालिका को नियंत्रित नही कर पाती है

- संसदीय समितियाँ संसद को विशेषज्ञता प्रदान करती है क्योंकि समिति के द्वारा किसी भी विशेषज्ञ को उसकी राय के लिए या सलाह के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

- वर्ष में लोकसभा की औसत बैठक लगभग 80-90 दिन के बीच में होती है जबकि संसदीय समितियों की कार्यकरण की कोई समय सीमा नही होती और समितियाँ किसी विधेयक पर गुप्त रूप में विचार करती है और विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर बारीकी से नजर रखती है।

- इस लिये यह कहा जाता है कि संसदीय समितियाँ कार्यपालिका को अपने पैरों की अंगुली पर नचाती है।

- ब्रिटेन के संसदीय परम्परा में प्रत्येक विधेयक अनिवार्य रूप में संसदीय समितियों को भेजना आवश्यक है लेकिन भारत में स्पीकर के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजा जाए अथवा नहीं।

द्वितीय वाचन

(A) समिति
- प्रवर समिति
- संयुक्त समिति

(B) खण्डशः चर्चा
- S 43 चर्चा
- संशोधन
- मतदान
  - ध्वनि मत (J.P.C)
  - मत विभाजन

(C) द्वितीय वाचन समाप्त

तीसरा वाचन

(i) मतदान

(ii) पारित होगा।

सामान्य विधि के निर्माण में राज्य सभा की भूमिका :-

- भारत में राज्यों का कोई पृथक संविधान नही है इसलिए संसद के द्वारा निर्मित विधियाँ समूचे भारत में लागू होती है। विधि निर्माण के मुद्दे पर राज्य सभा के नाम पर राज्यों की भी सहमति ली जाती है।
- राज्य सभा की भूमिका दलीय व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित होती है।
- यदि लोकसभा एवं राज्यसभा में एक ही दल का बहुमत है तो राज्यसभा की भूमिका रबैपनी की भाँति होती है। क्योंकि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा से स्वभाविक रूप में पारित हो जाता है।
- यदि लोकसभा एवं राज्यसभा में अलग-अलग दल बहुमत में है तो उस दौरान राज्यसभा की भूमिका प्रभावी होती है लेकिन लोकसभा के साथ गतिरोध की मात्रा बढ़ जाती है।

लोकसभा	राज्यसभा	गतिरोध
प्रथम वाचन	प्रथम वाचन	(A) लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य सभा खारिज/रद्द कर दे।
द्वितीय वाचन	द्वितीय वाचन	(B) लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यसभा 6 महीने तक कोई विचार न करे।
तृतीय वाचन	तृतीय वाचन	(C) लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में राज्यसभा संशोधन करे जिससे लोकसभा सहमत न हो।

विधि निर्माण में लोकसभा की प्राथमिक भूमिका:-

- संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका समान है क्योंकि संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नही है क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी सहमति के बिना संविधान संशोधन संभव नही है।

- सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के जो उपस्थित हो उनके आधे से एक अधिक से निर्णय लिया जाएगा अतः इस निर्णय में राज्य सभा की भूमिका महत्वहीन हो जाती है।

- इसीलिए संयुक्त बैठक को अन्तिम विकल्प के रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए। जिसके कारण निम्नलिखित है-

(i) बहुमतवाद के द्वारा अल्पमत के निर्णय की अनदेखी नही होनी चाहिए

(ii) राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा के बहुमत से इसे समाप्त करना संघीय ढांचे के विरूद्ध है।

(iii) राज्य सभा की भूमिका के हतोत्साहित होने से लोकसभा पर नियंत्रण संतुलन कमजोर होगा।

विगत 75 वर्षो के भारतीय गणतंत्र के इतिहास में केवल एक बार ही वास्तविक एवं सैद्धांतिक रूप में संयुक्त बैठक हुई थी। 1961 में जब कांग्रेस का बहुमत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में था।

उसके बावजूद दहेज विरोधी मुद्दे पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया इसके अतिरिक्त जब भी संयुक्त बैठक हुई उसका मूल कारण राजनीतिक था क्योंकि दोनों सदनों में अलग-अलग दल के बहुमत थे।